

## पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

विशेष सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के पत्रांक-18 (स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 01.05.15 द्वारा 1.50 (एक लाख पचास हजार) रूपये पत्रांक-44 (स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 17.06.15 द्वारा 1.00 (एक लाख) रूपये एवं पत्रांक-70 (स0अनु0)/आ0प्र0-दिनांक 12.08.15 द्वारा 3.00 (तीन लाख) रूपये कुल 5.50 (पाँच लाख पचास हजार) रूपये का आवंटन वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0010-बज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान विपत्र कोड-N2245021010010 में प्राप्त हुआ था जिसे पूर्व में पत्रांक-694, दिनांक 09.06.15 द्वारा अंचलाधिकारी, अथमलगोला को 1.50 (एक लाख पचास हजार) रूपये पत्रांक-780, दिनांक 11.07.15 द्वारा अंचलाधिकारी धनरूआ, को 1.00 (एक लाख) रूपये एवं पत्रांक-916, दिनांक 28.08.15 द्वारा अंचलाधिकारी फुलवारीशरीफ को 3.00 (तीन लाख) कुल 5.50 (पाँच लाख पचास हजार) रूपये उपाबंटित किया जा चुका है।

पुनः संयुक्त सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-153(स0अनु0)/आ0प्र0 पटना दिनांक 19.03.16 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0010-बज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान विपत्र कोड-N2245021010010 में 4.00 (चार लाख) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसे निम्नरूपेण अंचलाधिकारी, बाढ़ को उपाबंटित करते हुए कोषागार से निकासी करने की स्वीकृति दी जाती है।

आवंटित/पूर्व आवंटित राशि का विवरणी लघुशीर्ष/उपशीर्षवार निम्न प्रकार है:-  
लघुशीर्ष-101 अनुग्रहिक राहत मांग सं0-39

उपशीर्ष-0010 वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान।

विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।



क्र०	उपावंटित पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि (लाख में)	योग
1	2	3	4	5
1	अंचलाधिकारी, अथमलगोला	150	—	150
2	अंचलाधिकारी, धनरूआ	1.00	—	1.00
3	अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ	3.00	—	3.00
4	अंचलाधिकारी, बाढ़	—	4.00	4.00
कुल :-		5.50	4.00	9.50

1. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ती के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0010-बज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान मद में विभागीय पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश संख्या-523/आ0प्र0, दिनांक 18.03.16 द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. यह आवंटन स्वीकृत अभिलेख सं०-01/15.16 नीतीश कुमार, पिता-विनोद यादव, सा०-शेखोपुर, पो०-भटगाँव, अंचल-बाढ़, जिला पटना को वज्रपात से हुई मृत्यु के एवज में अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु उपावंटित किया जा रहा है।
3. उपावंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में वज्रपात से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान मद में किया जायेगा।
4. किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय। अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
5. आवंटित की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form 42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC Form 42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र अद्योहस्ताक्षरी को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 30.03.16 तक भेज दिया जाय।

6. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो 30.03.16 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।
7. आवंटित राशि के निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य वजट शीर्ष/उपमुख्य शीर्ष-लघुशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से कि जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. यह आवंटित आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि0(2), दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
9. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण, दिनांक 30.03.16 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

हो।  
जिला पदाधिकारी,  
पटना।

ज्ञापांक 224 / आ०प्र०, दिनांक 28/03/16.

- प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी, बाढ़, जिला पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, बाढ़ जिला पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ जिला पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला जन संपर्क विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

26/3  
जिला पदाधिकारी,  
पटना।